अपील सूचना अधिकार संख्या 79/2018 (RCMS 2018/00199) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

24.06.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत करके 05 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध 25000/—रूपये शास्ति अधिरोपित की जाकर हर्जाना प्रार्थी को दिलवाया जावे एवं उसे वांछित सूचनाएं भी उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक मु.म. /विशेषाधिकारी/आर—सी/प—2/निर्वा/जांच 28588 दिनांक 08, जून 2018 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थी के आवेदन से इस प्रार्थना पत्र का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार या अधिकारी द्वारा की गई, उसकी सूचना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. आदर्श आचार संहिता लगे होने पर डेप्यूटेशन पर कार्यरत चुनाव के कर्मकार या अधिकारी द्वारा मुख्यालय छोड़ने हेतु जिस अधिकारी या विभाग से अनुमति लेनी होती है उसकी सूचना एवं निर्वाचन नियमों की सूचना
5. मुख्यमंत्री के पत्र में वर्णित कथनों में उप पंजीयक, श्रीगंगानगर श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा बी.एल.ओ. द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में ड्यूटी के दौरान दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़कर जोधुपर जाने पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट मांगी, उसकी सूचना व श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा जांच न करने के आधार की सूचना व कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(RTI)निर्वा/2018/27154 दिनांक 18.12.2018 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक 19664 दिनांक 14.11.2018 से श्री राधेश्याम गोयल को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1 से 5 का प्रत्युतर निम्नानुसार है :

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदन को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। अतः चाही गई सूचना के संबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध, अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों को चिन्हित कर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में प्रतीत होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है. उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। **फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और यदि वह उपलब्ध अभिलेख में से किसी भी निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर